संख्या-47/2021/822/22-2-2021-21(22)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 अप्रैल, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाकिर पुत्र श्री गुलाम साबिर, निवासी जनपद-मुरादाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे-5-दया0 बैठक-11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जाकिर पुत्र श्री गुलाम साबिर, जो शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन की रंजिश व मुकदमेबाजी को लेकर दिनांक 21.05.2001 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भाला, चाकू व तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा-307/149, 302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.03.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.01.2021 तक 19 वर्ष 07 माह 00 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने बन्दी द्वारा बदले की भावना से पुन: अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, भविष्य में निकटवर्ती चुनावी माहौल है और शीघ्र ही चुनावी प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है जिसके कारण बन्दी के रिहा होने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी का स्वास्थ्य संतोषजनक होने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट] मुरादाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) डायरी संख्या-15488/2020 जाकिर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2020 के समादर में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी जाकिर (बन्दी संख्या-10692) पुत्र श्री गुलाम साबिर, निवासी जनपद-मुरादाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-47/2021/822(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in